भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1184
दिनांक 10 दिसम्बर 2025 / 19 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

हिमनद के फटने से आने वाली आकस्मिक बाढ़ (जीएलओएफ)

1184 डा. सिकंदर कुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने संवेदनशील क्षेत्रों से अतिरिक्त जल को निकालने के लिए कोई जल निकासी प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने लाहौल-स्पीति में स्थानीय समुदायों से संपर्क बढ़ाकर उन्हें बाढ़ प्रबंधन एवं शमन प्रयासों में शामिल करने के लिए कोई प्रयास किए हैं, यदि हाँ, तो इस संबंध में किए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लाहौल-स्पीति, विशेषकर हिमनद के फटने से आने वाली आकस्मिक बाढ़ (जीएलओएफ) प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जल निकासी या नियंत्रित जल निकासी के उपाय अत्यधिक साइट-विशिष्ट हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), जहां भी पर्यावरण और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, नियंत्रित जल निकासी तथा आउटलेट स्थिरीकरण के लिए जोखिम मूल्यांकन और विशेषज्ञ सिफारिशों के माध्यम से राज्य सरकारों का समर्थन करता है। राज्य सरकारें, एनडीएमए और संबद्ध राष्ट्रीय संस्थानों से तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता से, जहां साध्य हो, संरचनात्मक जल निकासी हस्तक्षेप लागू करती हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1184, दिनांक 10.12.2025

(ग): एनडीएमए द्वारा संरचनात्मक शमन, जलग्रहण प्रबंधन और ढलान स्थिरीकरण पर राज्य सरकारों द्वारा तैयारी, निकासी की योजना और प्रतिक्रिया की तैयारी को बढ़ाने के लिए जिला अधिकारियों और समुदायों के लिए क्षमता-निर्माण गतिविधियों के आयोजन में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए राज्यों को तकनीकी हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) एडवाइज़री भी जारी की गई हैं। जीएलओएफ जोखिमों के प्रति नीचे की ओर की आबादी को संवेदनशील बनाने हेतु महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमज़ोर समूहों तक लक्षित पहुँच द्वारा समर्थित नियमित समुदाय-स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(घ): केंद्र सरकार ने 150.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम शमन परियोजना (एनजीआरएमपी) के चार राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है। एनजीआरएमपी का उद्देश्य लाहौल-स्पीति सहित आपदा प्रवण क्षेत्रों में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ से जुड़े जोखिमों को, कम करना है। एनजीआरएमपी के अंतर्गत, एनडीएमए द्वारा लाहौल-स्पीति सहित हिमालयी क्षेत्र में संभावित खतरनाक ग्लेशियल झीलों का आकलन किया है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) जैसी एजेंसियों द्वारा उपग्रह इमेजरी, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) सर्वेक्षण और भूमि-आधृत सेंसर के माध्यम से, प्राथमिकता वाले झीलों की निरंतर निगरानी की जाती है।

एनडीएमए ने हिमनद झील विस्फोट बाढ़ के प्रबंधन के लिए अक्टूबर 2020 में दिशानिर्देश जारी किए हैं । ये दिशानिर्देश "हिमालयी क्षेत्र में जीएलओएफ और भूस्खलन झील विस्फोट बाढ़ (एलएलओएफ) से उत्पन्न खतरों को टालना" शीर्षक से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करते हैं।

सीडब्ल्यूसी ने ग्लेशियल झीलों के जोखिम सूचकांक के लिए मानदंड को अंतिम रूप दिया है, जो उनकी विफलता की संभावना और जीएलओएफ की स्थिति में उनके द्वारा होने वाली संभावित क्षति पर आधारित है, और जो ग्लेशियल झीलों की पहचान और रैंकिंग के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। सीडब्ल्यूसी द्वारा जुलाई 2025 में "हिमनद झील के फटने के कारण होने वाली बाढ़ से बांधों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु संरचनात्मक उपायों के संबंध में दिशानिर्देश" भी प्रकाशित किए गए हैं।

*****